

सी.जी.-यू.पी.-अ.-21062024-254840 CG-UP-E-21062024-254840

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946

No. 313]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2024

सा.का.िन. 336(अ) —वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 436ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार जिन निम्निलिखित प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 436ए द्वारा अपेक्षित रूप से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख को सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित रूप से इस अधिसूचना की प्रतियां सामान्य जनता को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

यदि कोई आपत्तियाँ या सुझाव हों तो अपर सचिव (पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग), पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं:

पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण (1) इन नियमों को वाणिज्य पोत परिवहन (अपील का रूप और तरीका) नियम, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3645 GI/2024 (1)

- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कुछ अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक,-
 - (ए) "अधिनियम" से आशय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) होगा;
 - (बी) "अपीलकर्ता" से आशय अधिनियम की धारा 436 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जो कोई अपील करेगा उससे होगा;
 - (सी) "अपीलीय प्राधिकारी" से आशय अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त नौवहन महानिदेशक से होगा;
 - (डी) "फॉर्म" से आशय इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म से होगा;
 - (ई) "जुर्माना" से आशय अधिनियम की धारा 436 में विहित जुर्माने से होगा;
- (2) इन नियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और इनकी परिभाषा नहीं दी गई है किंतु इनकी परिभाषा अधिनियम में दी गई है तो अधिनियम में इन्हें दिया गया अर्थ ही इनका अर्थ होगा।
- 3. अपील की सीमावधि—अधिनियम की धारा 436 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रधान अधिकारी के आदेश द्वारा जो भी व्यक्ति व्यथित होगा वह उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अविध के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है:

बशर्ते अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास समय रहते अपील प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था तो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील को स्वीकार कर सकता है:

बशर्ते इसके अलावा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के उपरांत कोई अपील नहीं स्वीकारी जा सकती।

- **4. अपील का फॉर्म और इसमें निहित सामग्री**—अधिनियम की धारा 436 की उप-धारा (3) के अंतर्गत, फॉर्म में विनिर्दिष्ट तरीके से हिन्दी या अंग्रेजी में अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा।
 - (2) उप-नियम (1) में किए गए आवेदन के साथ उस आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
 - (3) हर अपीलकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उप-नियम (1) में किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरण पूरी तरह से दिए गए हों, ये हैं:-
 - (ए) आवेदन में समस्त महत्वपूर्ण कथन, तर्क और वे आधार निहित होंगे जिन पर अपीलकर्ता को विश्वास है;
 - (बी) अपील में अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा;
 - (सी) अपील में वे आधार स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे जिनके आधार पर इसे किया गया है, इसमें तथ्य या विधिक या प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समस्त त्रुटियों, जुर्माने की समानुपातिकता, कोई नई स्वीकार्य जानकारी,बदली हुई परिस्थितियां, हित का टकराव या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो उसे शामिल किया जाएगा।
 - (डी) आवेदन में विशिष्ट प्रार्थनाएं यानी प्रेयर निहित होंगी:
 - (ई) आवेदन अपने आप में पूरा हो।
- **5. अपील पर विचार किया जाना**—नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत यदि कोई आवेदन किया जाता है तो, अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगा, यह हैं:-
 - (ए) क्या इन नियमों में जो प्रक्रिया दी गई है,उसका अनुपालन किया गया है और, यदि नहीं, तो इस अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप अधिनियम या इन नियमों या भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय नहीं मिल पाया है;
 - (बी) क्या अधिनियम की धारा 436 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रधान अधिकारी के आदेश में लगाया गया जुर्माना समानुपातिक है या नहीं;
 - (सी) क्या ऐसे आदेशों को पारित किए जाते समय उचित और न्यायपूर्ण रीति से मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार किया गया है।
 - (डी) क्या अपील नियम 4 के उप-नियम 3 की मद (सी) के अनुसरण में दायर की गई है।
 - (ई) अपील का निपटान इस उप-नियम के अनुसरण में होगा

- (2) नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए किसी भी आवेदन का निपटान अपीलकर्ता को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बने अन्य किन्हीं नियमों के अन्य प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उन्हें यह शक्ति होगी कि वे इस नियम के अंतर्गत की गई किसी अपील पर विचार करने के प्रयोजन से इससे संबंधित कार्यव्यापार को करने के लिए स्थानों सहित, अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकें।
- (4) नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन का निपटान यथाशीघ्र किया जाएगा और ऐसे आवेदन का निपटान करने में इस आवेदन को किए जाने की तारीख से छह मास से अधिक का समय नहीं लगाया जाएगा।
- 6. अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां—इस नियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी समय विशेष हेतु प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी भी बात के रहते हुए, अपीलीय प्राधिकारी, नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत दिए गए किसी आवेदन का निर्णय करते समय, उसके पास वही शक्तियां होंगी जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल कोर्ट के पास होती हैं, ये निम्नलिखित मामलों के संबंध में हैं, जो हैं:-
 - (ए) उस जगह और उस समय पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूप से पुस्तकों या किन्हीं प्रलेखों को खोजा और प्रस्तुत किया जाए और शपथ दिलवाकर इनकी परीक्षा की जाए;
 - (बी) किसी व्यक्ति की किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों और अन्य प्रलेखों का निरीक्षण;
 - (सी) गवाहों या प्रलेखों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना;
 - (डी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन, किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख, या प्रलेख या ऐसे अभिलेख या प्रलेख की प्रति की मांग करना और ऐसे प्रलेखों को प्रस्तुत करना;
 - (ई) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
 - (एफ) चूक के कारण किसी आवेदन को एकतरफा डिसमिस या डिसाइड करना;
 - (जी) चूक के कारण किसी आवेदन को एकतरफा डिसमिस किए जाने या पारित किए गए किसी आदेश को रद्द करना;
 - (एच) अंतरिम राहत संस्वीकृत करना;
 - (आई) इसके निर्णय की समीक्षा करना; और
 - (जे) अपीलीय प्राधिकारी को जो उचित लगे वह कोई अन्य मामला।
- (2) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष हर कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर और धारा 196 के प्रयोजनों हेतु न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा, और अपीलीय प्राधिकारी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों हेतु सिविल कोर्ट समझा जाएगा।
- 7. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश नियम 4 के अधीन, अपीलीय प्राधिकारी -
 - (ए) अधिनियम की धारा 436 की उप-धारा(3) के अंतर्गत जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी पुष्टि करना या उसे आशोधित करना या रद्द करना या उसे उलट देना;
 - (बी) आदेश द्वारा लगाए गए जुर्माने की पुष्टि करना या इसे कम करना या इसे बढ़ा देना या इसे रद्द करना या जहां जुर्माना न लगाया गया हो वहां जुर्माना लगा देना:

बशर्ते किसी आदेश में जुर्माने को इतना बढ़ाकर नहीं लगाया जाएगा जो कि धारा 436 की उप-धारा (2) में विहित जुर्माने की धनराशि से अधिक हो: बशर्ते यह और कि किसी आदेश में जुर्माने को बढ़ाकर तब तक न लगाया जाए जब तक कि अपीलकर्ता को इस बढ़े हुए जुर्माने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया गया हो और इसे बढ़ाए जाने के कारण लिखित रूप में दिए जाएं:

(सी) किन्हीं प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से हर सारहीन अपील पर जुर्माना लगाने के आदेश पारित करना:

बशर्ते लगाया गया कोई जुर्माना जुर्माने की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो कि धारा 436 की उप-धारा (2) में विहित हो: या

- (डी) मामले की परिस्थिति में जो उचित लगे वैसे आदेश पारित करना।
- 8. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव—(1) नियम 6 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, नियम 5 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।
- (2) नियम 5 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित हर आदेश, व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9. शुल्क—नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत हर आवेदन निम्नलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट रूप से भुगतान योग्य शुल्क के साथ किया जाएगा:-

क्रम संख्या	अधिनियम के नियम 436 के उप-नियम (2) के अंतर्गत खंड में विहित जुर्माने की धनराशि	नियम 4 के उप-नियम (1) के अतर्गत आवेदन हेतु भुगतान योग्य शुल्क
1	2	3
1.	पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकने वाला जुर्माना	3000/-रुपए
2.	एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकने वाला जुर्माना	5000/-रुपए
3.	दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकने वाला जुर्माना	10000/-रुपए
4.	पांच लाख रुपए या अधिक तक बढ़ाया जा सकने वाला जुर्माना	20000/-रुपए

- 10. कार्यवाहियों में खर्च दिलवाना (अवार्ड ऑफ कॉस्ट)—(1) अपीलीय प्राधिकारी को जब उचित लगे तब वह प्रतिवादी या चूक करने वाले पक्ष के कानूनी खर्च की पूर्ति करने हेतु निर्णय दे सकता है।
- (2) अपीलीय प्राधिकारी जहां यह निर्धारित करता है कि इन नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है तो वह चूक करने वाले पक्ष पर उदाहरण योग्य खर्च लगा सकता है।

फॉर्म

अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन

(नियम 4 का उप-नियम (1) देखें)

- 1. अपीलकर्ता के विवरण:
- 1.1. अपीलकर्ता का नाम:
- 1.2. अपीलकर्ता का पदनाम:
- 1.3. अपीलकर्ता का पता:
- 1.4. अपीलकर्ता का टेलीफोन/मोबाइल नंबर:
- 1.5. अपीलकर्ता का ईमेल आईडी:
- 1.6. अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि का नाम, पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी:

- 2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 436 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उस आदेश के विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:
 - 2.1 तारीख:
 - 22 नंबर[.]
 - 2.3 प्रधान अधिकारी का नाम:
 - 2.4 समुद्री वाणिज्य विभाग का पता:
 - 2.5 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की वह धारा जिसके संदर्भ में अपराध है:
 - 2.6 प्रधान अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना:

3. अपील के विवरण:

- 3.1 तथ्यों का विवरण: (अपील में उठने वाले कानून के प्रश्न सहित तथ्यों का एक तारीखवार संक्षिप्त विवरण जिसमें मामलों को विस्तार से बताते हुए परिच्छेद संख्या दी गई हो। यथासंभव रूप से हर मामले के लिए अलग से परिच्छेद होना चाहिए)
- 3.2 परिवेदना का विवरण: (वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 436 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रधान अधिकारी के आदेश के मामलों को विस्तार से बताते हुए परिवेदना का एक संक्षिप्त विवरण)
- 3.3 अपील का आधार: (अपील का स्पष्ट आधारऔर अपील का संक्षिप्त विवरण एवं संगत कानूनी प्रावधान, यदि कोई हों, जिन पर भरोसा किया गया हो, उपलब्ध करवाएं। परिच्छेद 4(3)(सी) देखें)
- 3.4 साक्ष्य: (अपील हेतु औचित्य/आधार के लिए साक्ष्य उपलब्ध करवाएं और एक से अधिक साक्ष्य होने की दशा में, उसकी तारीखवार अनुक्रमणिका बनाकर सूची प्रस्तुत करें)
- 3.5 प्रार्थना यानी प्रेयर: (जो राहतें चाही गई हों वे स्पष्ट रूप से लिखें)
- 3.6 नियम 9 के अंतर्गत भुगतान योग्य शुल्क के विवरण:

स्थान:

तारीख:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

[फा.सं. एल 11020/1/2022-एम.जी. भाग (1)सी.एन. 354601] राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2024

G.S.R.336(E)—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 436A of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) are hereby published as required by section 436A of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Ports, Shipping & Waterways), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India, Transport Bhavan, 1, Parliament Street, New Delhi–110 001;

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Form and Manner of Appeal) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
 - (b) "appellant" means whoever prefers an appeal under sub-section (3) of Section 436 of the Act;
 - (c) "Appellate Authority" means the Director-General of Shipping appointed under section 7 of the Act;
 - (d) "form" means the Form annexed to these rules;
 - (e) "penalty" means the penalty prescribed in Section 436 of the Act.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- **3. Period of Limitation of Appeal.** —Whoever aggrieved by an order of the Principal Officer under sub-section (3) of Section 436 of the Act, may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Appellate Authority:

Provided that the Appellate Authority may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid, if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal in time:

Provided further that no appeal may be admitted after a period of one hundred and eighty days from the date of the receipt of such Order.

- **4. Form and Content of Appeal.** (1) An application to the Appellate Authority under sub-section (3) of Section 436 of the Act shall be made in English or Hindi, in the manner specified in the Form.
- (2) An application made in sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the order appealed against.
- (3) Every appellant shall ensure that an application made in sub-rule (1) fulfils the following particulars, namely:
 - (a) the application contains all material statements, arguments and grounds relied on by the appellant;
 - (b) the application contains no disrespectful or improper language;
 - (c) The appeal shall clearly state the grounds on which it is made, including any errors of fact or legal or administrative process, proportionality of the penalty, any new admissible information, changed circumstances, conflict of interest or breach of constitutional right.
 - (d) the application contains specific prayers;
 - (e) the application is complete in itself.
- **5. Consideration of the Appeal.** (1) In the case of any application made under sub-rule (1) of rule 4, the Appellate Authority shall consider the following matters, namely:
 - (a) whether the procedure laid down in these rules has been complied with, and, if not, whether such non compliance has resulted in the violation of any provision of the Act or these rules or the Constitution of India or in the failure of justice;
 - (b) whether the penalty imposed in the order of the Principal Officer under sub-section (3) of Section 436 of the Act is proportionate or not;
 - (c) whether all the circumstances of the case have been considered to pass such orders as it may deem just and equitable.
 - (d) whether the appeal has been preferred in accordance with item (c) of sub rule 3 of rule 4.
 - (e) disposal of appeal shall be in accordance with this sub-rule.
- (2) No application made under sub-rule (1) of rule 4 shall be disposed without giving the appellant a reasonable opportunity of being heard.
- (2) The Appellate Authority shall be guided by the principles of natural justice and subject to other provisions of this Act and of any rules made thereunder, shall have powers to regulate its own procedure, including the places at which it shall conduct its business for the purpose of considering any appeal preferred under this rule.
- (5) An application made under sub-rule (1) of rule 4 shall be disposed of as expeditiously as possible and the disposal of such application shall not exceed a period of six months from the date of filing such application.
- **6. Powers of the Appellate Authority.** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force while exercising powers under this rule, the Appellate Authority, while deciding any application made under

sub-rule (1) of rule 4, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

- (a) the discovery and production of books or any documents, at such place and such time as may be specified by the Appellate Authority and examining them on oath;
- (b) inspection of any books, registers and other documents of any person;
- (c) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
- (d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), requisitioning any public record or document or a copy of such record or document, from any office and production of such documents;
- (e) receiving evidence on affidavits;
- (f) dismissing an application for default or deciding it, ex parte;
- (g) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it, ex parte;
- (h) granting interim relief;
- (i) reviewing its decision; and
- (j) any other matter as the Appellate Authority may deem fit.
- (2) Every proceeding before the Appellate Authority shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860) and Appellate Authority shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
- 7. Orders passed by the Appellate Authority. —Subject to rule 4, the Appellate Authority may—
 - (a) confirm or modify or set aside or reverse the order appealed against under sub-section (3) of Section 436 of the Act;
 - (b) confirm or reduce or enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty where no penalty has been imposed:

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall exceed the amount of penalty prescribed in subsection (2) of Section 436:

Provided further that no order imposing an enhanced penalty shall be made unless the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against such enhanced penalty and reasons for such enhancement have been recorded in writing;

(c) pass such orders for penalising any frivolous appeals as a deterrence to the abuse of any administrative or legal procedures:

Provided any penalty imposed shall not exceed amount of maximum penalty prescribed in sub-section (2) of Section 436; or,

- (d) pass such orders as it may deem fit in the circumstances of the case.
- **8. Effect of Orders passed by the Appellate Authority.** (1) Subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 6, every order passed by the Appellate Authority under rule 5 shall be final.
- (2) Every order passed by the Appellate Authority under rule 5 shall, as soon as practicable, be submitted to the Central Government.
- **9. Fee.** —Every application under sub-rule (1) of rule 4 shall be made along with fees payable as specified in the following table: —

Sr. No.	Amount of Penalty prescribed under Section under sub-rule (2) of rule 436 of the Act	Fees payable for application under sub-rule (1) of rule 4
(1)	(2)	(3)
1.	Penalty which may extend to fifty thousand rupees	3,000/- rupees
2.	Penalty which may extend to one lakh rupees	5,000/- rupees
3.	Penalty which may extend to two lakh rupees	10,000/- rupees
4.	Penalty which may extend to five lakh rupees or more	20,000/- rupees

- **10. Award of costs in the proceedings.** (1) Whenever the Appellate Authority deems fit, it may award cost for meeting the legal expenses of the respondent or defaulting party.
- (2) The Appellate Authority may, where it determines that there has been an abuse of process under these rules, impose exemplary costs on the defaulting party.

FORM

APPLICATION TO THE APPELLATE AUTHORITY

(See sub-rule (1) of rule 4)

- 1. Details of the Appellant:
 - 1.1. Name of the Appellant:
 - 1.2. Designation of the Appellant:
 - 1.3. Address of the Appellant:
 - 1.4. Telephone/Mobile No. of the Appellant:
 - 1.5. Email Id. of the Appellant:
 - 1.6. Name, Address, Telephone/Mobile No. & Email Id. of the Legal Representative of the Appellant:
- 2. Details of the Order appealed against under sub-section (3) of Section 436 of the Merchant Shipping Act, 1958:
 - 2.1. Date:
 - 2.2. Number:
 - 2.3. Name of Principal officer:
 - 2.4. Address of Mercantile Marine Department:
 - 2.5. Section of the Merchant Shipping Act, 1958 to which the Offence has reference:
 - 2.6. Penalty imposed by the Principal Officer:
- 3. Details of Appeal:
 - **3.1. Statement of Facts:** (Provide a concise statement of facts in a chronological order and with paragraph numbers containing an elaboration of issues, including the question of law arising in the appeal. Each paragraph should deal with, as far as possible a separate issue.)
 - **3.2. Description of Grievance:** (Provide a concise description of grievance elaborating issues with the order of the Principal Officer under sub-section (3) of Section 436 of the Merchant Shipping Act, 1958)
 - **3.3. Grounds for Appeal:** (Provide a clear ground of the appeal and concise description of the appeal and the relevant legal provisions, if any, relied upon. See para 4(3)(c))
 - **3.4. Evidence:** (Provide evidence for the justification/grounds for appeal and in case of more than one evidence, an indexed chronological list thereof.)
 - **3.5. Prayer:** (*Clearly stipulate the reliefs sought*)
 - 3.6. Particulars of fees payable under rule 9:

м	ace:
	acc.

Date: (Signature of Appellant)

[F. No. L-11020/1/2022-MG(PART-I) CN. 354601]

RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.